न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– 19/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र जेकनराम उम्र 26वर्ष 2. रामदयाल पुत्र जेकनराम उम्र 20वर्ष जतियान विश्नोई, निवासी कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. जेकनराम पुत्र लाधुराम उम्र 58वर्ष 2. बाबुलाल पुत्र लाधुराम उम्र 52वर्ष 3. भजनलाल पुत्र बाबुलाल उम्र 30वर्ष 4. दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 20वर्ष 5. साक्षी पुत्री बालाराम उम्र 10वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 6. अंजली पुत्री बालाराम उम्र 07वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 7. सरिता पुत्री बालाराम उम्र 05वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 8. रामदेव पुत्र बालाराम उम्र 03 वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 9. तुलछी देवी पत्नी जेकनराम उम्र 51वर्ष सभी जातियान विश्नोई निवासी कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान। 10. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना। 11. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 06 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजूः– 05/04/22

अधिवक्तागणः–

01. श्री रानिवास विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
02. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 01 ता 09

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

–::निर्णय::– दिनांकः– 08/08/23

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की पैतृक व पुस्तैनी भूमि पटवार मण्डल सुदाबेरी मौजा भादुओं की बेरी में खेत खसरा नम्बर 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम व मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 115, 116/2, 116/5, 116/8, 116/9 रकबा क्रमशः 0.0728, 8.4174, 6.1350, 0.9146, 4.4353 किस्म क्रमशः गै.मु., बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम कुल रकबा 36.3244 हैक्टेयर का आया हुआ है। वर्तमान जमाबंदी का नक्शा साथ पेश है। वादीगण तथा

08/08/23 सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

प्रतिवादी सं. 01 से 09 जाति से विश्नोई होने, हिन्दू होने से हिन्दू विधि से शासित है। तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 से 09 एक ही परिवार के सदस्य हैं, वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 से 09 की वंशावली निम्न प्रकार से है:–

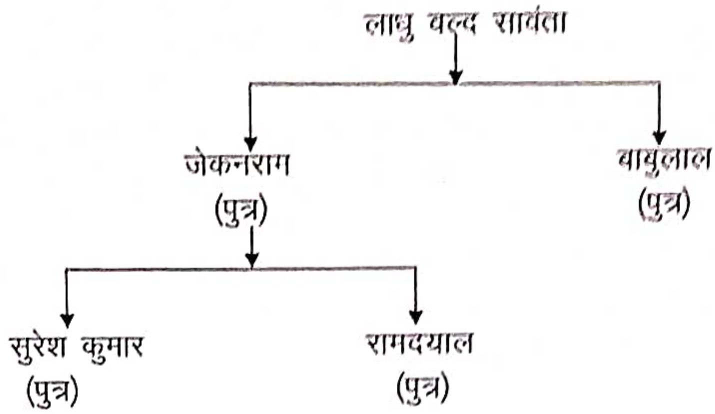

वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट के समय व उसके बाद वादीगण के परदादा लाधु वल्द सांवता के नाम दर्ज हुई है तथा सांवता के फौत होने से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम व प्रतिवादी संख्या 04 बाबुलाल के नाम दर्ज हुई है, इस प्रकार वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 व खसरा नंबर 116/5 में 139/758 हिस्स संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी संख्या एक के नाम 16.2197 हैक्टेयर यानि 100–04 बीघा भूमि दर्ज है। जिससे वादीगण प्रत्येक का 1/6, 1/6 वां हिस्सा यानि 5.4065 हैक्टेयर यानि 33–08 बीघा व खसरा नम्बर 116/5 में वादीगण प्रत्येक का 139/2274 – 139–2274 वां हिस्सा यानि 2–06, 2–06 बीघा भूमि आती है। उपरोक्त खसरों की भूमि पैतृक व पुस्तैनी (Ancentral land) एवं मिक्षरा सहदायिकी (Mitakhara Coparcenary) भूमि होने से वादीगण का उक्त खसरों की भूमि में जन्म से (By brth) हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है, इस कारण से वादीगण के पिता के साथ पटवार मण्डल सुदाबेरी मौजा भादुओं की बेरी में खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 2. 9947 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम व मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा क्रमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 किस्म क्रमशः गै.मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम कुल रकबा 30.1894 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम का 1/6 हिस्सा व ग्राम कातरला खिलेरियान के खेत संख्या नम्बर 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 139/2274 – 139/2274 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम का 139/2274 वां हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में होता है।

वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुरतैनी हैं जो वादीगण के दादा लाधु पुत्र सांवता के नाम से थी, के बाद वादीगण के दादा लाधु फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज हुई है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरे की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है, इसलिए प्रत्येक सहदायिकी के सदस्यों का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व हिस्सा होता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) कि भाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प. 5(1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश ारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08. 09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक व पुरतैनी भूमि पर जन्म से अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। वर्तमान में भूमि प्रतिवादी सं. 01 जेकनराम के नाम से राजस्व

सहायक कलक्टर (SDO)

08/08/22
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

रिकॉर्ड में दर्ज होने से भूमि पर बैंक से लोन एवं किसान केडिट कार्ड के तहत ऋण का फायदा उठाते हैं भूमि का आपस में वाहमी बंटवारा किया गया है। बाहमी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्सों में खेती कार्य कर रहे हैं वादीगण के नाम से भूमि नहीं होने से कृषि विकास कार्य एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं प्रतिवादी सं. 01 बैंक लोन आदि सरकारी फायदा अकेला उठा रहे हैं आज से बीस रोज पूर्व वादीगण ने अपने कृषि कार्य विकास हेतु प्रतिवादी सं. 01 जेकनराम से बैंक से ऋण लेकर कृषि विकास हेतु सहयोग करने के लिए कहा तब प्रतिवादी सं. 01 ने मना कर दिया, जमीन से बैदखल करने धमकियां दी, एवं भूमि अजनबी केता को बेचान/हस्तान्तरण करने की भी धमकी दी इसलिए वादीगण को यह घोषणा का वाद पेश करना लाजमी हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पटवार मण्डल सुदाबेरी मौजा भुदओं की बेरी में खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम व मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा क्रमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 किस्म क्रमशः गै.मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम कुल रकबा 30.1894 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम का 1/6 हिस्सा व ग्राम कातरला खिलेरियान के खेत संख्या नम्बर 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 139/2274 – 139/2274 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम का 139/2274 वां हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी हैं। इसके साथ ही वादीगण अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 जेकनराम के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि पटवार मण्डल सुदाबेरी मौजा भादुओं की बेरी के खेत खसरा नम्बर 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम व मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 115, 116/2, 116/5, 116/8, 116/9 रकबा कमशः 0.0728, 8.4174, 6.1350, 0.9146, 4.4353 किस्म कमशः गै.मु., बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम कुल रकबा 36.3244 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण के उपरोक्त वर्णित हिस्सों में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें और न ही वादीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा करें। बिनायदावा बमुकाम पटवार मण्डल सुदाबेरी राजस्व ग्रमा भादुओं की बेरी, कातरला खिलेरियान में जब वादग्रस्त पैतृक व पुस्तैनी भूमि में आज से बीस रोज पूर्व कृषि कार्य विकास हेतु रुपए मांगने गए तब प्रतिवादी सं. 01 जेकनराम ने बेदखल करने की धमकियां दी, व भूमि को अजनबी केता को बेचान/हस्तांतरण करने की धमकी दी तब–तब ऊपर बयान किए मुजब वाद कारण पैदा हुआ। भूमिपति तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिससे कोई इस्तदुआ नहीं चाहने से उन्हें धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस नहीं दिया गया है। भूमि बैंक में रहन होने से बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया है। विवादग्रस्त कृषि भूमि पटवार मण्डल सुदाबेरी राजस्व ग्राम भादुओं की बेरी, कातरला खिलेरियान, कातरला में स्थित होने व वाद कारण उपरोक्त ग्राम में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है एवं वाद अन्दर म्याद पेश है। वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर निर्धारित के रूप में रुपए 5/– मुद्रांक साथ पेश है। वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक प्रतिवादीगण के विरुद्ध सादिर फरमाई जावें :–

A. पटवार मण्डल सुदाबेरी मौजा भादुओं की बेरी के खसरा नम्बर 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम व मौजा कातरला खिलेरियान के खेत खसरा नम्बर 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा क्रमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 किस्म क्रमशः गै.मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम कुल रकबा 30.1894

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

08/08/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा व ग्राम कातरला खिलेरियान के खेत खसरा संख्या 116/5 रकवा 6.1350 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 139/2274 – 139/2274 वां हिस्सा की खातेदारी घोषित किया जावे। वादीगण का हिस्सा घोषित होने के बाद स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे।

B. वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

C. अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा.का.अधि., सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे।

उक्त वादपत्र के पद संख्या 01 से 09 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा इसमें कोई कथन छिपाया नहीं गया है तथा वादपत्र के पद संख्या 10 से 12 कानूनी सलाह के आधार पर सही होने का विश्वास करता हूं तथा वादपत्र के पद संख्या 13 हम वादीगण की इस्तदुआ है जो स्वीकार की जाए।

वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजि. किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता देवाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, प्रतिवादी संख्या 10 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने का कथन अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर करने पर इनकी ओर से जवाबदावा को बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के सभी कथनों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पटवार मण्डल सुदाबेरी, मौजा भादुओं की बेरी के खसरा संख्या 175/1, 190 रकबा कमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम एवं मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा संख्या 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा कमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 हैक्टेयर, किस्म कमशः गै.मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम में वादीगण प्रत्येक 1/6 – 1/6 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है साथ ही उक्त वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/6 वां हिस्सा घोषित किया जावे। ग्राम कातरला खिलेरियान के खसरा सं. 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टेयर में वादीगण प्रत्येक का 139/2274 – 139/2274 वां हिस्सा एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का 139/2274 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

हस्तगत प्रकरण में इकबालिया जवाब दावा पेश होने के कारण तनकीयात की विरचना नहीं करके पत्रावली को सीधे साक्ष्य वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी सुरेश कुमार द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू–01, वादी रामदयाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू–02 पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा वादीगण के बयानों को कलमबद्ध किया गया साक्ष्य वादी के दौरान राजस्व मौजा भादुओं की बेरी पटवार हल्का सुदाबेरी की जमाबंदी वर्ष 2021 के खाता संख्या 99 के खसरा संख्या कमशः 175/1, 190 रकबा कमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म कमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम को प्रदर्श 01, राजस्व मौजा कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी की जमाबंदी वर्ष 2021 के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या कमशः 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा कमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 हैक्टेयर किस्म कमशः गै.मु., बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम को प्रदर्श 02, राजस्व मौजा कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी की जमाबंदी वर्ष 2021 के खाता संख्या 118 के खसरा संख्या 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम को प्रदर्श 03, खतौनी बंदोबस्त राजस्व मौजा कातरला संवत् 2012–31 खाता संख्या 82 को प्रदर्श 04, खतौनी बंदोबस्त राजस्व मौजा कातरला संवत् 2012–31 खाता संख्या 67 को प्रदर्श 05 अंकित किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा पत्रावली पर और साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्य वादीगण को बंद किया जाकर पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्य प्रतिवादी को बंद किया गया तथा पत्रावली को अंतिम बहस में नियत किया।

08/08/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवं हमने वादपत्र, जवाबदावा, पत्रावली, साक्ष्य शपथ पत्रों, प्रदर्शित दस्तावेजों आदि का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादपत्र एवं जवाबदाव के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 01 व 02 प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र हैं तथा वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा है, हमने प्रदर्श 04 एवं 05 (खतौनी बंदोबस्त) राजस्व मौजा कातरला खिलेरियान, तहसील बाड़मेर के संवत् 2012—31 खाता संख्या 82 एवं 67 का समग्र रूप से अध्ययन एवं अवलोकन किया, प्रदर्श 04 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 के खसरा संख्या 190, 175, 199 के खातेदार "रामू वल्द पना 1/2 हिस्सा लादु वल्द सावंता 1/2" हिस्सा कौम विश्नोई सा देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, प्रदर्श 05 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 67 के खसरा संख्या 30, 116, 113, 114, 115 के खातेदार "पोखर व रामू वल्द पना 2/3 हिस्सा लादु वल्द सावंता 1/3" हिस्सा कौम विश्नोई सा देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में सजरा खानदान के अनुसार लादु वल्द सावंता के दो पुत्र जेकनराम व बाबुलाल बताया है एवं जेकनराम के दो पुत्र सुरेश कुमार व रामदयाल बतया गया है इस बाबत् वादीगण द्वारा शपथ पत्र पर कथन किए हैं तथा इस पर प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 01 की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। राजस्व (ग्रुप—06) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.5(1) राज—6/97/10 दिनांक 08.09.1997 एवं राजस्व विभाग (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.—5(1)राज—6/97/18 दिनांक 08.01.2007 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के अनुसार पिता की पैतृक भूमि/संपत्ति पर पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होते हैं। राजस्व विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ—साथ पुत्र/पुत्री भी सह—कृषक होते हैं, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो एवं पैतृक भूमि के संबंध में पुत्र/पुत्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद को प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी में वादीगण (दोनों पुत्र) अपने पिता (प्रति. सं. 01) की पैतृक आराजी में बराबर हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं अर्थात् वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज आराजी में से वादी संख्या 01 को 1/3, वादी संख्या 02 को 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

08/08/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद, वादीगण अंतर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मौजा भादुओं की बेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा संख्या 175/1, 190 रकबा क्रमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् खसरा सं. 190, 175/1 में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं एवं मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा संख्या 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा क्रमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 हैक्टेयर, किस्म क्रमशः गै. मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम `दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है अर्थात खसरा सं. 115, 116/2, 116/8, 116/9 में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं तथा मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा सं. 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् खसरा सं. 116/3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 139/758 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 1 का 139/2274 हिस्सा, वादी सं. 02 का 139/2274 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 139/2274 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार धोरीमना को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक् से जारी होकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/08/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक– 08/08/23 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

08/08/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र जेकनराम उम्र 26वर्ष 2. रामदयाल पुत्र जेकनराम उम्र 20वर्ष जतियान विश्नोई, निवासी कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. जेकनराम पुत्र लाधुराम उम्र 58वर्ष 2. बाबुलाल पुत्र लाधुराम उम्र 52वर्ष 3. भजनलाल पुत्र बाबुलाल उम्र 30वर्ष 4. दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 20वर्ष 5. साक्षी पुत्री बालाराम उम्र 10वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 6. अंजली पुत्री बालाराम उम्र 07वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 7. सरिता पुत्री बालाराम उम्र 05वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 8. रामदेव पुत्र बालाराम उम्र 03 वर्ष नाबालिग जरियेवाली दादा बाबुलाल 9. तुलछी देवी पत्नी जेकनराम उम्र 51वर्ष सभी जातियान विश्नोई निवासी कातरला खिलेरियान पटवार हल्का सुदाबेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान। 10. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना। 11. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

मुकदमा नम्बर :— 19/2022
दावा बाबत् :— राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादीगण अंतर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी मौजा भादुओं की बेरी पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा संख्या 175/1, 190 रकबा कमशः 6.9849, 9.3644 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् खसरा सं. 190, 175/1 में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं एवं मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा संख्या 115, 116/2, 116/8, 116/9 रकबा कमशः 0.0728, 8.4174, 0.9146, 4.4353 हैक्टेयर, किस्म कमशः गै.मु. बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है अर्थात खसरा सं. 115, 116/2, 116/8, 116/9 में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01

08/08/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

का 1/6 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं तथा मौजा कातरला खिलेरियान के खसरा सं. 116/5 रकबा 6.1350 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 02 को 1/3 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् खसरा सं. 116/3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 139/758 हिस्से के स्थान पर वादी सं. 1 का 139/2274 हिस्सा, वादी सं. 02 का 139/2274 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 139/2274 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार धोरीमना को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें।

नीज..............–...............मुबलिक...................–.............बाबत्.....–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08/08/23 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

08/08/23

(लखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन,
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)